मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-17

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2006 (फाल्गुन 18, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 3576) के मामले पर उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(डॉ. सुनीलम्, सदस्य उनके प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 776) के मामले पर शासन की ओर से जबाब दिलाये जाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 103 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 107 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा अपने-अपने आसन से खड़े होकर फसलों की क्षति बाबत् अपनी बात कहते रहने तथा डॉ. सुनीलम्, सदस्य गर्भगृह से माननीय मंत्रियों के आसन की तरफ जाने से व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.37 बजे 10 मिनिट के लिए स्थगित होकर 12.09 बजे पुन: प्रारम्भ हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, सदस्य ने नरयावली क्षेत्रान्तर्गत जीवन जल धारा योजना के अन्तर्गत कृषकों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने,

(2) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य ने मध्यप्रदेश शिक्षा बोर्ड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने,

(3) श्री गोविंद सिंह राजपूत, सदस्य ने सुरखी विधान सभा के थाना जैसीनगर में वन समिति सदस्यों पर झूठे प्रकरण दर्ज करने,

(4) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने सतना नगर पालिका निगम में कार्यरत कर्मचारी को पदोन्नति न दी जाने,

(5) श्रीमती अर्चना चिटनिस,सदस्य ने खण्डवा जिले के सिगोंट खार विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने,

(6) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के पलेरा स्थित कन्या विद्यालय का उन्नयन न किये जाने,

(7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में चक बंदी का कार्य अपूर्ण होने,

(8) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी),सदस्य ने जबलपुर जिले के ग्राम फुलर पिपरिया मार्ग की जर्जर हालत होने,

(9) डॉ. निशिथ पटेल,सदस्य ने जबलपुर एवं कटनी जिले में अवैध रूप से स्टोन क्रेशर में अवैध उत्खनन किये जाने, तथा

(10) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत निजी विद्यालयों में मई व जून माह की शिक्षण शुल्क की अवैध वसूली की जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. सदस्यों का निलम्बन

सदस्य श्री सत्यदेव कटारे, श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. सुनीलम् को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने मामला उठाया कि आज प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री सत्यदेव कटारे, श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. सुनीलम् द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश की अवहेलना कर खेत की फसल लेकर आये और बिना अनुमति के बार-बार मना करने के बाद भी असंसदीय आचरण किया।

अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त माननीय सदस्यों को इस सत्र की शेष अवधि के लिये निलंबित किया जाये।

प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि श्री सत्यदेव कटारे, श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. सुनीलम्, सदस्य को इस सत्र की शेष अवधि के लिये निलंबित किया जाता है।

(व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.10 बजे 10 मिनिट के लिए स्थगित होकर 12.59 बजे पुन: प्रारम्भ हुई)

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.

(1.00 बजे से 2.30 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

4. सदस्यों के निलंम्बन को समाप्त किया जाना

मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी ने आज प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री सत्यदेव कटारे, श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. सुनीलम् के निलंबन किये जाने पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि आज जिन माननीय सदस्यों का निलंबन यहां किया गया था, वह निलंबन वापस लिया जाये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि श्री सत्यदेव कटारे, श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. सुनीलम्, सदस्य का इस सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया निलंबन समाप्त किया जाता है।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पवेसिंह पारगी, सदस्य की झाबुआ जिले के -

(क) खाडियारवाल एवं माथासूला भूरिया के पास नेगड़ी नदी पर पुलिया कम स्टाप डेम बनाये जाने,

(ख) ग्राम भोयरा व जूनिभोयरा मार्ग पर हुडवा नाला पर पुलिया कम स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(ग) भिंडल एवं रंगपुरा बादयाबयडी के मध्य आसन नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(2) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) अंवाड़ा से व्हाया रायबासा बुचनखापा भाजीपानी मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम गुजरखेड़ी-जूनापानी मार्ग का निर्माण कराये जाने,तथा

(ग) ग्राम चिचोलीबड़ से ढाना तक सड़क बनाये जाने,

(3) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) बहोरीबंद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ई.जी.सी.हेतु भवन बनाये जाने,

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ढीमरखेड़ा के स्टाफ हेतु आवासीय भवन बनाये जाने,

(ग) बहोरीबंद मे उप-कोषालय खोले जाने,तथा

(घ) ग्राम खमतरा-पहरूआ स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के-

(क) ग्राम भुड़सा स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,तथा

(ख) ग्राम विलायतकला स्थित जन शिक्षा केन्द्र (माध्यमिक शाला) का उन्नयन कराये जाने,

(5) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा जिले के -

(क) वदवार-तमरा रोड के भटियारा नाला पर पुल/रपटा बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम टीकर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार,सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम पिपरसा से दिखतपुरा तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ख) ग्राम गलेथा (हवेली) से भेजपुरा तक सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री रामपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनग्रर्हित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(7) श्री राजेश पटेल
(8) डॉ. नारायण परमार
(9) श्री घनश्याम सिंह
(10) डॉ. सुनीलम्
(11) श्री शंकरलाल तिवारी
(12) श्री अंतर सिंह दरबार
(13) श्री अर्जुन पलिया
(14) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(15) श्री ओमप्रकाश खटीक
(16) श्री आरिफ अकील
(17) श्री ताराचंद बाबरिया
(18) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(19) श्री शांतिलाल धवई

(20) श्रीमती सोनाबाई अहिरवार

श्री रामपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 17	सहकारिता के लिए एक सौ नब्बे करोड़, उन्नीस लाख, ग्यारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक सौ सत्तर करोड़, पचपन लाख, इकतीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 17	1,2,4,5,6,8
मांग संख्या - 39	1,3,5,7,8,9

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(3) श्री आरिफ अकील

(4) श्री शंकरलाल तिवारी

(5) डॉ. सुनीलम्

(6) सुश्री ऊषा ठाकुर

(7) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन सौ पैंसठ करोड़, इक्यासी लाख, बीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए चार सौ अठहत्तर करोड़, छप्पन लाख, तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 32	जनसंपर्क के लिए चवालीस करोड़, एक लाख, चौसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए छः सौ छः करोड़, अठारह लाख, सतानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए अठ्ठाईस करोड़, उनसठ लाख, उन्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए एक सौ पन्द्रह करोड़, पैंतीस लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए इक्यावन करोड़, बासठ लाख, बाईस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए ग्यारह सौ उन्नीस करोड़, अड़तालीस लाख, दस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 30	3,6
मांग संख्या - 32	2
मांग संख्या - 56	2
मांग संख्या - 62	2,11

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री अजय सिंह

(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(4) श्री राजेश पटेल

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(5) श्री किशोरीलाल वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(6) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(8) श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(9) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया

(10) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

08.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 (फाल्गुन 19, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.